Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-4 | October – November – December 2025

Original Article

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का अंतर्संबंध : महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका का एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. रश्मि रानी

इतिहास विभाग

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

Manuscript ID: yrj-140410

ISSN: 2277-7911
Impact Factor – 5.958

Volume 14
Issue 4
Oct-Nov-Dec.- 2025
Pp. 71 - 79

Submitted: 05 Oct. 2025
Revised: 24 Oct. 2025
Accepted: 20 Nov. 2025
Published: 10 Dec. 2025

Corresponding Author:
डॉ. रश्मि रानी

Quick Response Code:

Web. https://yra.ijaar.co.in/

DOI: 10.5281/zenodo.21469349

DOI Link: https://doi.org/10.5281/zenodo.21469349

सारांश:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने सामाजिक न्याय, समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा समावेशी विकास को राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में स्वीकार किया। इस प्रक्रिया में महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया। शिक्षा महिलाओं को केवल साक्षरता प्रदान करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाते हुए आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता भी प्रदान करती है। एक शिक्षित महिला न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाती है।

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं की शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महिला समाख्या कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान तथा सुकन्या समृद्धि योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन योजनाओं ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, लैंगिक असमानताओं को कम करने तथा महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रस्तुत अध्ययन में स्वतंत्रोत्तर भारत में महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मध्य विद्यमान अंतर्संबंध का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही, विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा किस प्रकार महिलाओं के आत्मनिर्णय, नेतृत्व क्षमता, आर्थिक स्वावलंबन तथा सामाजिक भागीदारी को सुदृढ़ करती है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि महिला शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-4 | October – November – December 2025

समानता और सतत राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है।

मुख्य शब्द: महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाएँ, स्वतंत्रोत्तर भारत, सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता, बालिका शिक्षा।

Creative Commons

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*
How to cite this article:
डॉ. रश्मि रानी. (2025). स्वतंत्रोत्तर भारत में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का अंतर्संबंध : महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका का एक ऐतिहासिक अध्ययन. Young Researcher, 14(4), 71 – 79.
https://doi.org/10.5281/zenodo.21469349

प्रस्तावना:

किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास का वास्तविक मापदंड उसके नागरिकों की शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति होती है। यदि समाज का आधा हिस्सा अर्थात् महिलाएँ शिक्षा, संसाधनों और अवसरों से वंचित रह जाएँ, तो समावेशी एवं सतत विकास की कल्पना अधूरी रह जाती है। इसी कारण आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में महिला शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। शिक्षा महिलाओं को केवल ज्ञान और कौशल प्रदान नहीं करती, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता तथा निर्णय लेने की योग्यता का भी विकास करती है।

भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, गरिमा तथा अवसरों की समान उपलब्धता का अधिकार प्रदान किया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 महिलाओं को विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के निषेध तथा सार्वजनिक रोजगार में समान अवसरों की गारंटी प्रदान करते हैं।[1] इसके अतिरिक्त राज्य को महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी दिया गया है, जिससे सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की स्थापना सुनिश्चित हो सके।

यद्यपि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय महिलाओं की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा तथा लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों ने महिलाओं की प्रगति को सीमित कर रखा था। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर मात्र 8.86 प्रतिशत थी, जो उस समय महिलाओं की शिक्षा की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करती है।[2] विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अभाव, विद्यालयों की कमी तथा सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण अधिकांश बालिकाएँ शिक्षा से वंचित रह जाती थीं।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राज्य ने महिला शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया और विभिन्न नीतियों तथा योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया। समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि महिला शिक्षा केवल साक्षरता बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण का आधार भी है। शिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं तथा परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका निभाती हैं।[3]

महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का अंतर्संबंध:

महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बीच गहरा, बहुआयामी तथा परस्पर निर्भर संबंध विद्यमान है। शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास, तार्किक सोच, नेतृत्व क्षमता तथा निर्णय लेने की योग्यता प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बनती हैं। एक शिक्षित महिला न केवल अपने व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि अपने परिवार और समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

- आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं तथा रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करती हैं।
- स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण से संबंधित निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं।
- राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं में अपनी उपस्थिति और सहभागिता सुनिश्चित करती हैं।
- लैंगिक भेदभाव, हिंसा, शोषण तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रभावी ढंग से आवाज उठाने में सक्षम होती हैं।
- अपने बच्चों, विशेषकर बालिकाओं, की शिक्षा और भविष्य के प्रति अधिक जागरूक रहती हैं।
- सामाजिक नेतृत्व, सामुदायिक विकास तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।[4]

इसी कारण शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी और स्थायी माध्यम माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी महिला शिक्षा को सतत विकास और लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals - SDGs) में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता को प्रमुख स्थान दिया गया है, जो इस तथ्य को रेखांकित करता है कि महिला शिक्षा के बिना समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना संभव नहीं है।[5]

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 5.958| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-14, Issue-4 | October – November – December 2025

अतः यह स्पष्ट है कि महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण एक-दूसरे के पूरक एवं परस्पर निर्भर आयाम हैं। शिक्षा महिलाओं को केवल अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं बनाती, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक, सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए भी सक्षम बनाती है।

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिला शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार ने यह अनुभव किया कि महिलाओं की शिक्षा के बिना सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा लोकतांत्रिक सहभागिता के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसी दृष्टि से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अनेक नीतियाँ, कार्यक्रम तथा योजनाएँ लागू की गईं, जिनका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 स्वतंत्र भारत की पहली व्यापक शिक्षा नीति थी। इस नीति में शिक्षा के समान अवसरों को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता प्रदान की गई। इस नीति ने महिला शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया तथा बालिकाओं के विद्यालयीकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया।[6]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने महिला शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और लैंगिक समानता का प्रमुख साधन माना। इस नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया कि महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं को कम किया जा सकता है। इसी नीति के अंतर्गत महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रमों, छात्रवृत्तियों तथा शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था की गई।[7]

महिला समाख्या कार्यक्रम (1988):

महिला समाख्या कार्यक्रम वर्ष 1988 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए प्रारंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण एवं वंचित वर्ग की महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से जागरूक बनाना तथा उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामुदायिक भागीदारी की भावना विकसित करना था। इस कार्यक्रम ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने तथा सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[8]

सर्व शिक्षा अभियान (2001):

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को सुनिश्चित करना था। इस अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से बालिकाओं,

अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के नामांकन और विद्यालय में उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। इस कार्यक्रम ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कीं और विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में कमी आई।[9]

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (2004):

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे उन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला जो दूरी, गरीबी अथवा सामाजिक कारणों से विद्यालय नहीं जा पाती थीं।[10]

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (2015):

वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई यह योजना बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने तथा उनके जन्म, संरक्षण और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू की गई। इस योजना ने बालिका शिक्षा, लैंगिक समानता तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[11]

सुकन्या समृद्धि योजना:

सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से अभिभावकों को अपनी बेटियों की शिक्षा और उच्च अध्ययन के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। इससे बालिकाओं की शिक्षा के प्रति परिवारों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है।[12]

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:

माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों के आधारभूत ढाँचे में सुधार, छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार तथा बालिकाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया गया। इससे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई।

नई शिक्षा नीति, 2020:

नई शिक्षा नीति, 2020 ने लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया है। इस नीति के अंतर्गत 'जेंडर इन्क्लूजन फंड' की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में आने वाली सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। यह नीति महिलाओं को डिजिटल शिक्षा,

कौशल विकास तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

महिला सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव:

सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभावस्वरूप स्वतंत्रोत्तर भारत में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 1951 में जहाँ महिला साक्षरता दर मात्र 8.86 प्रतिशत थी, वहीं वर्तमान समय में यह कई गुना बढ़ चुकी है। शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया है।

आज महिलाएँ शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, न्यायपालिका, राजनीति, सेना, खेल, उद्योग तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कर रही हैं। उनकी बढ़ती भागीदारी भारतीय समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक संकेत प्रदान करती है।[13]

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने स्थानीय शासन और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक जागरूकता का विकास हुआ है।

इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कार्यक्रमों ने महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा निर्णय क्षमता में वृद्धि की है।[14]

फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक असमानता, डिजिटल विभाजन, बाल विवाह, विद्यालय छोड़ने की समस्या तथा आर्थिक विषमताएँ आज भी महिला सशक्तिकरण की राह में चुनौतियों के रूप में विद्यमान हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा शिक्षा के अवसर समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाओं तक समान रूप से पहुँचाए जाएँ।

चुनौतियाँ:

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त होने के बावजूद अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा संरचनात्मक चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं, जो महिलाओं के समग्र विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। सरकारी प्रयासों और नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद समाज के अनेक वर्गों तक इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। आज भी अनेक गाँवों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों की दूरी, सुरक्षित परिवहन की कमी तथा आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण अनेक बालिकाएँ अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ने के लिए विवश हो जाती हैं।

इसके अतिरिक्त बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव तथा पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच जैसी कुरीतियाँ महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के मार्ग में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। अनेक परिवारों में आज भी लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है तथा उन्हें घरेलू दायित्वों तक सीमित रखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। परिणामस्वरूप अनेक प्रतिभाशाली बालिकाएँ अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पातीं।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि होने के बावजूद विद्यालय और महाविद्यालय छोड़ने की समस्या अभी भी चिंताजनक है। आर्थिक कठिनाइयाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, प्रारंभिक विवाह तथा सामाजिक प्रतिबंध इसके प्रमुख कारण हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बालिकाएँ इस समस्या से अधिक प्रभावित होती हैं।

वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा का विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में सामने आया है, किन्तु डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुँच एक नई चुनौती के रूप में उभरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा, स्मार्टफोन, कंप्यूटर तथा डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण अनेक बालिकाएँ ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी अवसरों से वंचित रह जाती हैं। यह डिजिटल विभाजन सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को और अधिक गहरा करता है।

आर्थिक और सामाजिक विषमताएँ भी महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। गरीबी, बेरोजगारी तथा सीमित संसाधनों के कारण अनेक परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे पाते। इसके अतिरिक्त कार्यस्थलों पर लैंगिक असमानता, वेतन में अंतर तथा नेतृत्व पदों पर महिलाओं की अपेक्षाकृत कम भागीदारी भी सशक्तिकरण की प्रक्रिया को सीमित करती है।[15]

इसके साथ ही महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, उत्पीड़न, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ तथा सामाजिक असुरक्षा की भावना भी अनेक बालिकाओं और महिलाओं के शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए केवल नीतिगत प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में

परिवर्तन और लैंगिक समानता के प्रति व्यापक जन-जागरूकता भी आवश्यक है।

अतः यह स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्राप्त उपलब्धियों को स्थायी और व्यापक बनाने के लिए सरकार, समाज, शैक्षिक संस्थानों तथा परिवारों के संयुक्त और सतत प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रोत्तर भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मध्य अत्यंत गहरा और अविभाज्य संबंध विद्यमान है। शिक्षा ने महिलाओं को केवल साक्षरता प्रदान करने का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक चेतना तथा निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान की है। एक शिक्षित महिला अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होती है तथा परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं—जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महिला समाख्या कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान तथा सुकन्या समृद्धि योजना—ने महिलाओं को शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी में निरंतर विस्तार हुआ है।

आज भारतीय महिलाएँ शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, न्यायपालिका, राजनीति, खेल, रक्षा सेवाओं और उद्यमिता जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रही हैं। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय समाज में लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

फिर भी यह स्वीकार करना आवश्यक है कि वास्तविक और समावेशी महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण-शहरी असमानता, आर्थिक विषमता, डिजिटल विभाजन, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा लैंगिक भेदभाव जैसी चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं। इसलिए भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों का केंद्र केवल शिक्षा की उपलब्धता तक सीमित न होकर उसकी गुणवत्ता, समान अवसरों की सुनिश्चितता तथा महिलाओं के समग्र विकास पर होना चाहिए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि महिला शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, लोकतांत्रिक सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला है। जब महिलाएँ शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर होंगी, तभी एक समतामूलक,

न्यायपूर्ण और विकसित समाज की स्थापना संभव होगी। इसलिए महिला शिक्षा में निवेश वास्तव में राष्ट्र के भविष्य में निवेश है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. बसु, डी. डी., *भारत के संविधान का परिचय*, लेक्सिसनेक्सिस प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018, पृ. 214-220।
2. जैन, एम. पी., *भारतीय संविधान विधि*, वाधवा एंड कंपनी, नागपुर, 2017, पृ. 325-331।
3. भारत सरकार, *भारत का संविधान*, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, अनुच्छेद 14, 15 एवं 16, पृ. 8-11।
4. भारत सरकार, *जनगणना रिपोर्ट 1951*, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली, 1952, पृ. 134-136।
5. भारत सरकार, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968*, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, 1968, पृ. 14-18।
6. भारत सरकार, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986*, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, 1986, पृ. 43-48।
7. भारत सरकार, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020*, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, 2020, पृ. 38-41।
8. भारत सरकार, *महिला समाख्या कार्यक्रम रिपोर्ट*, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, 1992, पृ. 12-19।